(ख) : डी० डी० ए० में लगभग 424 समितियों को अक्तूबर–नवम्बर, 1990 में पेशकश पत्र भेजे थे जिसमें प्रत्येक को 5 लाख रुपये की धरोहर राशि जमा कराने तथा द्वारका फेज–I/ नरेला और नरेला/द्वारका फेज–II में भूमि के आबंटनार्थ अपनी पसंद इंगित करने के लिए कहा गया था । तत्पश्चात्, जनवरी, 1991 में 227 समितियों से द्वारका फेज–I में आबंटित की जाने वाली भूमि के लिए 31–3–91 तक मान्य, 975/– रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 50% प्रीमियम जमा कराने के लिए कहा गया था ।

(ग) और (घ) भूमि आबंटित करने के लिए डी० डी० ए० द्वारा उपयोग की गई 1983 में पंजीकृत समितियों की वरिष्ठता सूची के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय, में मुकदमें के कारण समितियों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा सका । उच्च न्यायालय ने दिनांक 10–5–1991 के अपने फैसले में पंजीयक, सरकारी समितियां, दिल्ली प्रशासन द्वारा तैयार की गई वरिष्ठता सूची को मंसूख कर दिया और वर्ष 1983 में पंजीकृत समितियों को किये गए आवंटन को निरस्त कर दिया ।

(ङ) और (च) उच्च न्यायालय के 10–5–1991 के आदेश से दुष्प्रभावित कुछ समितियों ने उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर कर दी । उच्चतम न्यायालय ने 17–9–1992 को निर्णय लिया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व निर्देशों के अनुसार समितियों को भूमि आवंटित की जाये । डी० डी० ए० ने, उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त की गई सूची में उल्लिखित समितियों तथा उन समितियों को, जिन्होंने धन-राशि वापस मांगी थी, केवल उन दो मामलों को छोड़कर जिनमें आवश्यक जांच चल रही है, धरोहर राशि/भूमि का पार्ट प्रीमियम लौटा दिया है । डी० डी० ए० द्वारा समितियों के विशेष अनुरोध प्राप्त होने तथा उनको विधिवत सत्यापन किये जाने के पश्चात् धनराशि लौटाई जाती है ।

(छ) प्रश्न नहीं उठता ।

**Renovation of Vigyan Bhavan**

1956. SHRI BALBIR SINGH :
DR. NAUNIHAL SINGH :

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state to which agency the work of renovation of Vigyan has been assigned ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM) : The work relating to renovation of Vigyan Bhawan has been a assigned to the Central Public Works Department.

**Implementation of Immovable Property Act, 1952**

1957. SHRI JAGIR SINGH DARD :
DR. NAUNIHAL SINGH :

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) the number of private premises requisitioned by Government under the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952 (30 of 1952) in New Delhi;

(b) to what use these premises are being put; and

(c) since how long these premises are under acquisition ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM) : (a) to (c) A detailed statement giving the details of private properties requisitioned under the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952 (30 of 1952), the date of requisition and the purpose for which used is given in the Statement.

***Statement giving the Details of Private Requisition properties in New Delhi.***

| S. No. | Name of the Requisitioned House/Buildings | Date of Requisition | Purpose for which the premises is being used |
|---|---|---|---|
| 1. | Portion of York Hotel Bldg. Connaught Place, New Delhi. | 1-11-42 | The premises has been sealed & the case is subjudice. |
| 2. | 5, Sikandra Road, New Delhi | 1-9-47 | Used by Lady Irwin College case is subjudice. |
| 3. | 3, Man Singh Road (Kapurthala House) New Delhi | 15-7-50 | Office purpose and case is subjudice. |
| 4. | Satnarayan Bldg., Sabzi Mandi, Delhi. | 31-7-77 | Used as Secondary School of Delhi Administration case is subjudice. |
| 5. | Faridkot House, New Delhi | 16-10-77 | Office purposes. |
| 6. | Vishal Cinema Complex Rajouri Garden, New Delhi. | 20-10-77 | Office purposes. |

**Allotment of Government Land in New Delhi**

1958. SHRI RAM DEO BHANDARI :
DR. NAUNITAL SINGH :

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) what is the total area of Government land available in New Delhi for allotment;

(b) what is the General Policy with respect to the allotment of Government land to private parties; and

(c) whether Government propose to review the policy ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM) : (a) No Government land has been specifically earmarked for allotment in New Delhi at present.

(b) However, allotment of land so earmarked for institutions of social, cultural, religious and charitable nature is made on recommendations of the screening committee constituted by the Ministry. Recommendations of Delhi Administration as well as Ministry concerned with the activities undertaken by the Institutions are taken into consideration in making the allotment.

(c) There is no such proposal under consideration of the Government.

**द्वारका परियोजना के अंतर्गत ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को भूमि का आबंटन**

1959. श्री विरेन जे० शाह :
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 सितम्बर, 1992 के "फाइनैन्शियल एक्सप्रैस" में "एच० सी० जजमैन्ट ऑन लैण्ड अलाटमैन्ट अपहैल्ड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार द्वारका परियोजना के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को भूमि के आबंटन के सम्बन्ध में उन की कोई सूची तैयार की है ;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक सोसाइटी की वरीयता क्रम के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और कितनी सोसाटियों को पहले चरण में भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया है और उन्हें कब तक यह भूमि आवंटित कर दिए जाने की संभावना है ; और